

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चि.स्वा./ग्रुप-2/2025

जयपुर, दिनांक :

आ दे श

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15.01.2025 के क्रम संख्या 79 के द्वारा डा. अल्का मेहता, पीसीएमओ का सिटी डिस्पेंसरी, रामनगर, अजमेर से जिला चिकित्सालय शाहपुरा भीलवाडा में किया गया स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निशा मीना)

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग एवं पंचायती  
राज (चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय ।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
- 3- निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
- 4- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन, राज
- 5- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय/उप जिला चिकित्सालय/  
सैटेलाईट अस्पताल, राज.
- 6- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
- 7- संबंधित अधिकारी
- 8- कम्प्यूटर सेल
- 9- निजी /रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव  
Signature valid

Digitally signed by Nisha Meena  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2025.01.17 13:45:25 IST  
Reason: Approved

